(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1681—दो/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.06.2002 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 675/अपील/01—02 अपील

जहूर मोहम्मद तनय श्री सुवराती मुसलमान
ग्राम तितली तहसील सिहावल जिला सीधी
म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1.ग्राम पंचायत तितली
2.मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम पैनल अधिवक्ता, अनावेदक क्र0 2

.....

(आदेश दिनांक 6/2/17 को पारित)

1— यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 675/अपील/2001—02 में पारित आदेश दिनांक 19.6.02 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार सिहावल के यहां आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम तितली पुराना सर्वे नंबर 1003 रकवा 0.84 एकड़ में मकान बनाकर आबाद 20—25 वर्षो से है जिसके आधार पर तहसीलदार सिहावल द्वारा दिनांक 30.7.86 को पटट्ा जारी जारी किया गया। ग्रामवासियों द्वारा झूठी शिकायत की गई जिसके अनुसार

पटट्ा निरस्त किया गया। जिससे से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 2.8.2001 को निरस्त की गई जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19.6.2002 को निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई करने के बाद नियत दिनांक को आदेश पारित नहीं किया और में दिनांक 2.8.01 को आदेश पारित किया, जिसकी कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई इस कारण म्याद की गणना जानकारी दिनांक से ही होगी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि वधि न्याय दृश्टि से निम्न न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश हर दृष्टि से एवं कानूनी तकनीकियों के आधार पर न्याय को नजर अंदाज कर दिया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4–अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों से उचित एवं सही होने के कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रथम दृष्ट्या निगरानी प्रबलरुप से अवधि बाधित है। निगरानी मेमों के साथ भारतीय म्याद अधिनियम के धारा 5 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र भी संलग्न किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2001 पूर्व पृष्ट की जानकारी आवेदक को दिनांक 5.6.2002 को हुई, जिसकी नकल उसे दिनांक 7.6.2002 को प्राप्त हुई दिनांक 8, 9 व 10 जून को आवेदक आर्थिक व्यवस्था में लग गया और 12 जून को उसने अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर की। इस पत्र में जून 2002 के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलार्थी ही था अतः उसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2001

की जानकारी दिनांक 5.6.2002 को क्यों हुई इसका कोई कारण आवेदक ने आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया है । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है आवेदन पत्र पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। आवेदन पत्र में दर्शाई गई बाते विश्वसनीय नहीं है क्योंकि आवेदक स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही के प्रति सर्तक रहना चाहिए था । यह आवेदन पत्र विश्वसनीय न होने के कारण अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्वीकार योग्य नहीं माना है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 675/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 19.6.02 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर